

केस संख्या :- /20

<p>16/10/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। कमील वारी उपर विभाजन पत्राव प्राप्त हुए, जो संलग्न हैं। विभाजन पत्राव का अवलोकन करने पर बहस कमील वारी की सुनने पर धम पाते हैं कि वाकिमा ने मोझे पर अपवि होकर दिसन 1/4 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण सुनि का बेचान करन बताया है तथा अगामी तारीख पर पर अपना का विज्ञा करना चाहिए निजा। मोजा अमीशनर की रिपोर्ट के आधार पर दावा सारहीन हो गया है। (सारहीन होने के दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फिल शुक्रार होकर 1/1 नम्बर 1/20 है।</p> <p style="text-align: right;">(बि) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>
-----------------	---